R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड XI ◆ अंक 2
अगस्त 2014

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित चलनिधि प्रबंध ढांचे की घोषणा की

5 अगस्त 2014 को जारी तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने विद्यमान चलनिधि व्यवस्था की समीक्षा की। चलनिधि प्रबंध परिचालनों में लचीलापन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से 5 सितंबर 2014 (शुक्रवार) से चलनिधि प्रबंध के लिए एक संशोधित ढांचा लागू किया जा रहा है। संशोधित चलनिधि प्रबंध ढांचे के विवरण जैसेकि ओवरनाइट नियत दर रिपो (रिपो दर पर), परिवर्तनीय दर 14-दिवसीय मीयादी रिपो नीलामियां, ओवरनाइट परिवर्तनीय दर रिपो नीलामी, ओवरनाइट नियत दर प्रत्यावर्तनीय रिपो, ओवनाइट परिवर्तनीय दर प्रत्यावर्तनीय रिपो नीलामियां, ओवरनाइट सीमांत स्थायी सुविधा तथा निर्यात ऋण पुनर्वित्त रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रेस प्रकाशनी अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं ।

संशोधित ढांचे के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक दिवस के दौरान किसी समय तेज़ी से बदलती हुई चलनिधि स्थितियों पर ध्यान रखते हुए अल्पकालिक सूचना पर विशेष परिवर्तनीय दर अल्पावधि मीयादी रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो नीलामियां घोषित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अवरोधक कारकों से उत्पन्न दिन-प्रति-दिन की चलनिधि जरूरतों के समाधान के अलावा रिज़र्व बैंक खुले बाजार परिचालनों (एनडीएस-ओएम प्लैटफार्म पर संचालित परिचालनों सहित) तथा विदेशी मुद्रा परिचालनों के माध्यम से अधिक स्थायी प्रकृति की चलनिधि गतिविधियों का प्रबंध भी करेगा।

विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत दिन-प्रति-दिन चलनिधि जरूरतों की पूर्ति बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 0.75 प्रतिशत के समतुल्य परिवर्तनीय दर 14-दिवसीय/7-दिवसीय रिपो नीलामियों के माध्यम से की जाती है जिसके संपूरक बैंक-वार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य दैनिक ओवरनाइट नियत दर (रिपो दर पर) रिपो और बैंक-वार बकाया पात्र निर्यात ऋण बिल (एनडीटीएल का लगभग 0.4 प्रतिशत) के 32 प्रतिशत के निर्यात ऋण पुनर्वित्त (रिपो दर पर) हैं। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक अप्रत्याशित अवरोधक कारकों से उत्पन्न अस्थायी चलनिधि दबावों का प्रबंध करने के लिए विभिन्न परिपक्वता के विशेष रिपो संचालित करता है।

रिज़र्व बैंक जारी आधार पर संशोधित चलनिधि प्रबंध ढांचे के परिचालन की समीक्षा करेगा तथा आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त संशोधन लागू करेगा।

परियोजना ऋण का पुनर्वित्तपोषण

रिज़र्व बैंक ने 7 अगस्त 2014 को बैंकों को अनुमति दी कि वे अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ पूर्व निर्धारित करार किए बिना भी पूर्ण या आंशिक अंतरण वित्तपोषण से वर्तमान परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करें तथा एक अधिक लंबी भुगतान अवधि निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त, इसे वर्तमान और अधिग्रहण ऋणदाताओं की बहियों में पुनर्संरचना नहीं समझा जाए यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों :

(i) ऐसी परियोजना के लिए सभी संस्थागत ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर कम-से-कम ₹1000 करोड़ हो;

(ii) इस परियोजना ने वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ की तारीख प्राप्त होने के बाद वाणिज्यिक परिचालन (डीसीसीओ) शुरू किया हो;

(iii) भुगतान अवधि का निर्धारण परियोजना के जीवन चक्र और नकदी प्रवाह को ध्यान में रखकर किया जाए और वर्तमान तथा नए बैंकों के बोर्ड परियोजना की व्यवहार्यता से संतुष्ट होने चाहिए। इसके अतिरिक्त पीपीपी परियोजनाओं के मामले में कुल भुगतान अवधि इस परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवन/रियायत अवधि के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं हो;

(iv) पुनर्वित्तपोषण के समय पर ऐसे ऋण वर्तमान बैंकों की बहियों में 'मानक' होने चाहिए;

(v) अंतरण वित्तपोषण के मामले में ऋण की काफी मात्रा (मूल्य के आधार पर बकाया ऋण का कम-से-कम 25 प्रतिशत) वर्तमान वित्तपोषण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से नए ऋणदाताओं द्वारा अधिग्रहित की जाए; और

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित चलनिधि प्रबंध ढांचे की घोषणा की	1
• परियोजना ऋण का पुनर्वित्तपोषण	1
• लेखा टिप्पणी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटन	2
• तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15	2
• एसजेएसआरवाई की एनयूएलएम के रूप में पुनर्संरचना	2
भुगतान और निपटान प्रणाली	
• सीएनपी लेनदेन में सुरक्षा और जोखिम में कमी के उपाय	2
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएमों पर निःशुल्क लेनदेन को विवेकसम्मत बनाया	2
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्नत तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के लिए अक्षर सेट जारी किया	3
फेमा	
• प्रीपेड फोरेक्स कार्ड जारी करना	3
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	
• शेयरों के बदले ऋण	3
• चयनित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति	3
• ब्याज दर फ्यूचर्स	3
• भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड का आबंटन	3
• बंधक गारंटी कंपनी पर दिशानिर्देशों में संशोधन	4
रिपोर्ट/दिशानिर्देश	
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट, 2013-14 जारी की	4
• वित्तीय लिखतों के लिए कराधान पद्धतियों पर कार्यदल	4

(vi) यदि आवश्यक हो, तो प्रवर्तक अतिरिक्त इक्विटी लाएं जिससे कि ऋण को कम किया जा सके ताकि परियोजना ऋण के वर्तमान ऋण इक्विटी अनुपात तथा ऋण सेवा व्यापकता अनुपात (डीएससीआर) को बैंकों के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके।

उपर्युक्त सुविधा वर्तमान परियोजना ऋण के जीवन में केवल एक बार ही उपलब्ध होगी। वर्तमान परियोजना ऋण के पुनर्वित्तपोषण से संबंधित अनुदेशों को बैंकों से प्रतिसूचना (फीडबैक) प्राप्त होने के बाद संशोधित किया गया जो दर्शाता है कि ऋण के बड़े अंश के अधिग्रहण अर्थात् वर्तमान वित्तपोषण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मूल्य के आधार पर बकाया ऋण के 50 प्रतिशत से अधिक का निर्धारण करना सामान्यतः कठिन होता है क्योंकि ऐसे अधिकांश बैंक पहले से ही ऐसे परियोजना ऋणों के लिए संघ/बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंग होते हैं।

लेखा टिप्पणी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटन

1 अप्रैल 2014 को रिज़र्व बैंक ने प्रस्तावित किया कि छोटे व्यवसाय वाले और कम आय वाले परिवारों के लिए विस्तृत वित्तीय सेवाओं पर समिति की सिफारिशों के अनुसार कुछ अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाए ताकि बैंक प्राथमिक क्षेत्र सहित विविध क्षेत्रों के वित्तपोषण का प्रबंध सक्रियता से कर सकें।

रिज़र्व बैंक ने 28 जुलाई 2014 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया कि वे वित्त वर्ष 2014-15 से आगे निर्धारित फार्मेट के अनुसार वित्तीय विवरणों की 'लेखा टिप्पणियों' में क्षेत्रवार अग्रिम सूचित कर दें। अतिरिक्त प्रकटीकरण में निम्न जानकारी शामिल हों:

- जमा राशियों, अग्रिमों, वित्तपोषण और अनुत्पादक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रीकरण
- क्षेत्रवार अनुत्पादक आस्तियां (एनपीए)
- अनुत्पादक आस्तियों (एनपीए) में घट-बढ़

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15

डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर ने मुंबई में 5 अगस्त 2014 को तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 की घोषणा की । वर्तमान और उभरती हुई समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को 8.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में 50 आधार अंकों तक कमी करते हुए उसे 9 अगस्त 2014 को शुरूहोने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 22.5 प्रतिशत से घटाकर 22.0 प्रतिशत किया जाए; और
- बैंक-वार निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.25 प्रतिशत पर ओवर नाईट रिपो के अंतर्गत चलनिधि तथा बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.75 प्रतिशत तक 7-दिवसीय और 14-दिवसीय रिपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए।

इसके परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.0 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर (एमएसएफ) और बैंक दर 9.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तनीय बनी रहेंगी।

आकलन

जून 2014 के दूसरे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के बाद से पहली तिमाही में तेज़ मंदी से कुछ धीमी गति से वैश्विक आर्थिक गतिविधि में तेज़ी आई है। निवेशक जोखिम में तेज़ी ने अंशतः औद्योगिक देशों में जारी मौद्रिक नीति सहायता के आश्वासनों से बल पाकर वित्तीय बाज़ारों में तेज़ हुई है। उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पोर्टफोलियो प्रवाह मज़बूती से बढ़े हैं।

एसजेएसआरवाई की एनयूएलएम के रूप में पुनर्संरचना

रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त 2014 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि वे यह नोट करें कि भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एनयूएलएम) की शुरूआत की है। एनयूएलएम को वर्तमान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की पुनर्संरचना करने के बाद शुरू किया गया। एनयूएलएम का स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) घटक शहरी गरीबों के वैयक्तिक तथा समूह उद्यमों की स्थापना और स्व-सहायता समूहों सहायता प्रदान करने के लिए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के प्रावधान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

इसके अतिरिक्त स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम और शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम घटकों के लिए पूंजी सब्सिडी के वर्तमान प्रापधान को वैयक्तिक उद्यम (एसईपी-1), समूह उद्यम (एसईपी-बी) और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी द्वारा विस्थापित किया गया है।

एनयूएलएम के स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) घटक के परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 14 अगस्त 2014 की अधिसूचना के साथ अनुलग्नक के रूप में उपलब्ध है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सीएनपी लेनदेन में सुरक्षा और जोखिम में कमी के उपाय

रिज़र्व बैंक ने 22 अगस्त 2014 को बैंकों को आरआरबी/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय बैंकों प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्कों सहित सभी अनुसूचित बैंकों को सूचित किया कि वे अधिदेशात्मक अतिरिक्त अधिप्रमाणन कार्यप्रणालियों से संस्थाओं की टाल-मटोल को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें जहां ग्राहकों द्वारा 'कार्ड प्रस्तुत नहीं किया' (सीएनपी) के जरिए सेवा के लिए भुगतान किया जाता है क्योंकि ऐसी प्रणालियां भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत जारी निदेशों के वर्तमान अनुदेशों के साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की अपेक्षाओं का उल्लंघन करके जानबूझकर अनुपालन नहीं करने का निर्देश करती है।

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि कार्ड भुगतानों की सुरक्षा संबंधी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार भारत में बैंकों द्वारा जारी कार्डों का प्रयोग 'कार्ड प्रस्तुत नहीं किया' (सीएनपी) के जरिए देश के भीतर प्रदान की जानेवाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए केवल तब किया जाए जब ऐसे लेनदेन भारत में किसी बैंक के माध्यम से किए जाते हैं और लेनदेन अनिवार्य रूप से भारतीय मुद्रा में किए जाते हैं।

रिज़र्व बैंक ने यह देखा है कि कुछ संस्थाएं कारोबारी/भुगतान मॉडलों के अनुसरण में अतिरिक्त अधिप्रमाणन/वैधीकरण संबंधी अनिवार्यताओं का उल्लंघन करती हैं जो विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह में परिणत होती हैं । रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि विदेशी वेबसाइट/पेमेंट गेट-वे द्वारा सीएनपी लेनदेन न किए जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएमों पर निःशुल्क लेनदेन को विवेकसम्मत बनाया

रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त 2014 को बैंकों को सूचित किया कि अन्य बैंक एटीएमों पर बचत बैंक खाताधारकों के लिए अधिदेशित निःशुल्क लेनदेन प्रति माह पांच से घटाकर तीन कर दिए जाएं। यह सीमा अच्छी भुगतान मूलभूत सुविधा वाले मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, बंगलुरू और हैदराबाद जैसे छह महानगरीय केंद्रों में स्थित एटीएमों पर किए जाने वाले लेनदेन पर लागू होगी। तथापि, यह कमी नो-फ्रिल/लघु/मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) जैसे खातों और इन छह महानगरीय केंद्रों

से बाहर स्थित एटीएमों पर बचत बैंक खाताधारकों द्वारा किए जाने वाले लेनदेन पर लागू नहीं होगी। बैंक इस आदेशित सीमा से अधिक निःशुल्क लेनदेन का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अतिरिक्त क्रॉस-सब्सिडी के दायरे को ध्यान में रखते हुए और इन लेनदेन के मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने बचत बैंक खाताधारकों को अपने स्वयं के एटीएमों पर एक महीने में कम-से-कम पांच निःशुल्क लेनदेन उपलब्ध कराएं। इससे अधिक लेनदेनों के लिए बैंक लेनदेन प्रभार (प्रति लेनदेन ₹20/- तथा लागू करों से अधिक नहीं) लगा सकते हैं जिन्हें पारदर्शी तरीके से निर्धारित किया जाए।

यह देखते हुए कि अलग-अलग बैंक एटीएम उपयोग के संबंध में अपनी अलग-अलग ग्राहक-अनुकूल नीतियों को अपना सकते हैं और ग्राहक शिकायतों को कम करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आगे यह भी सूचित किया है कि वे ग्राहकों को एटीएम (महानगरीय/गैर-महानगरीय) की स्थल स्थिति के बारे में जागरूक करने के लिए एक व्यवस्था शुरू करें और इस तथ्य की सूचना भी दें कि इस लेनदेन पर प्रभार लग सकते हैं। बैंकों को कहा गया है कि वे ग्राहक द्वारा विशेष महीने के दौरान किए गए निःशुल्क लेनदेन के संबंध में ग्राहकों को सूचित/सतर्क करने के लिए व्यवस्था करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्नत तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के लिए अक्षर सेट जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 अगस्त को ऐसे विशेष अक्षरों की सूचियां पारिभाषित और जारी की हैं जिन अक्षरों की आरटीजीएस संदेशों में अनुमति है और जिन अक्षरों की आरटीजीएस संदेशों में अनुमति नहीं हैं। ऐसा आरटीजीएस संदेशों के निर्बाध संसाधन के लिए भारतीय बैंकिंग उद्योग द्वारा विशेष अक्षरों के उपयोग में एकरूपता लाने के लिए किया गया है।

सभी आरटीजीएस सदस्य प्रतिभागियों को सूचित किया गया है कि वे आरटीजीएस संदेश भेजते समय विशेष अक्षरों के उपयोग के लिए इन सूचियों का सख्ती से पालन करें।

उन्नत तत्काल सकल भुगतान (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली में अनेक उन्नत विशेषताएं हैं जैसेकि चलनिधि प्रबंध सुविधा, आईएसओ 20022 की पुष्टि सहित एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज (एक्सएमएल) आधारित संदेश प्रणाली तथा तत्काल सूचना और लेनदेन निगरानी तथा नियंत्रण प्रणालियां।

इससे पहले 7 मार्च 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर एनजी-आरटीजीएस प्रणाली के व्यापक प्रसार हेतु आईएसओ 20022 संदेश प्रेषण मानक और संशोधित रूप में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) उपलब्ध कराए हैं ।

फेमा

पूर्वदत्त विदेशी मुद्रा कार्ड जारी करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जुलाई 2014 को यह स्पष्ट किया कि पूर्वदत्त विदेशी मुद्रा कार्ड विदेशी मुद्रा नोटों अथवा यात्री चेकों के समान विदेशी मुद्रा के रूप हैं। अतः यात्रा के प्रयोजन से पूर्वदत्त विदेशी मुद्रा कार्डों की बिक्री करने वाले प्राधिकृत व्यापारियों/सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों से अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा नोटों/यात्री चेकों की बिक्री के मामले में पालन किए जानेवाले समुचित सावधानी उपायों और कड़े केवाईसी मानदंडों का इस संबंध में भी पालन करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक को जानकारी प्राप्त होने के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि पूर्वदत्त विदेशी मुद्रा कार्ड (कुछ चयनित बैंकों द्वारा जारी) बेचते (जारी करते) समय कुछ प्राधिकृत व्यक्ति/सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक न तो समुचित सावधानी के उपायों का पालन करते है, न ही केवाईसी मानदंडों का पालन करते हैं ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

शेयरों के बदले ऋण

रिजर्व बैंक ने ₹100 करोड़ और इससे अधिक (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) की आस्ति आकार वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 21 अगस्त 2014 को सूचित किया कि वे ऐसे ऋणों के मामले में 50 प्रतिशत तक मूल्य के अनुपात में ऋण (एलटीवी) का अनुपात बनाए रखें जहां शेयरों को संपार्श्विक के रूप में लिया गया हो। शेयरों के बदले ऋण प्रदान करने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 'समूह1' शेयरों (सेबी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) की जमानत के बदले ऋण प्रदान कर सकती हैं जहां ऋण पाँच लाख रुपए से अधिक हो।

इसके अतिरिक्त ₹100 करोड़ और इससे अधिक आस्ति आकार वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए उनके पक्ष में बंधक रखे जाने वाले शेयरों की सूचना शेयर बाजारों को ऑन लाइन रिपोर्ट करेंगी। रिज़र्व बैंक ने इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया है कि वे यूजर आईडी के सृजन के लिए शेयर बाजारों से संपर्क करें। संबंधित शेयर बाजारों के वेब लिंक हैं - बीएसईः http://nbfc.bseindia.com; एनएसईः http://www.connect2nse.com/LISTING ।

चयनित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति

मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के तंत्र (नेटवर्क) को व्यापक बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त 2014 को ₹100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एमटीएसएस के तहत उप एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति दी है, जहां :

- एनबीएफसी के धन के साथ भारतीय एजेंट के धन का परस्पर कोई मिश्रण नहीं है।
- भारतीय एजेंट को एक नामित बैंक के पास एनबीएफसी उप एजेंट के पक्ष में सुरक्षा जमा राशि रखना होगी। सुरक्षा जमाराशि को एजेंट तथा उप एजेंट के बीच पारस्परिक निर्णय से बनाये रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंट द्वारा एनबीएफसी की लंबित प्रतिपूर्ति का भुगतान किसी भी समय सुरक्षा जमाराशि से अधिक नहीं हो।
- उप एजेंट के रूप में कार्य करने वाली कोई भी एनबीएफसी किसी अन्य संस्था को अपने उप एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती।

एमटीएसएस के तहत उप एजेंट के रूप में कार्य करने की इच्छा रखने वाली एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी जिसके लिए उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन अग्रेषित करने होंगे।

ब्याज दर फ्यूचर्स

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त 2014 को ₹1000 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति के आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग सदस्य के रूप में ब्याज दर संबंधी भावी सौदों बाजार में भाग लेने की अनुमति दी। यह नोट किया जाए कि आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) द्वारा 'एक्सचेंज-ट्रेडेड ब्याज दर संबंधी भावी सौदों' पर जारी 05 दिसम्बर 2013 के परिपत्र के अनुसार ब्याज दर संबंधी भावी बाजार सौदों में भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों के लिए स्थिति सीमाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिदेशों के अधीन होंगी।

भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड का आबंटन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अगस्त 2014 को सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया कि अपने सभी मौजूदा ग्राहको को यह सूचित करें कि यूसीआईसी आबंटित करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्वीकृत समय सीमा को 31 दिसम्बर 2014 तक बढ़ाया गया है।

Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

इससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2013 को सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया था कि वे किसी प्रकार का नया ग्राहक संबंध बनाते समय अपने सभी ग्राहको को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित करने हेतु कदम उठाते हुए जून 2013 समाप्ति तक सभी मौजूदा वैयक्तिक ग्राहकों को यूसीआईसी आबंटित करें।

बंधक गारंटी कंपनी पर दिशानिर्देशों में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने उद्योग क्षेत्र से प्राप्त अभ्यावेदन तथा बंधक गारंटी उद्योग के विकास के लाभकारी प्रभाव के मद्देनज़र 8 अगस्त 2014 को ''बंधक गारंटी कंपनियों (एमजीसी) के पंजीकरण और परिचालन पर दिशानिर्देशों'' में कुछ संशोधन किया। संशोधन निम्नानुसार है:

पूंजी पर्याप्तता

एमजीसी की पूंजी पर्याप्तता की गणना करते समय एमजीसी द्वारा प्रदत्त बंधक गारंटी को आकस्मिक देयताएं माना जा सकता है तथा इन आकस्मिक देयताओं के लिए वर्तमान में लागू सौ प्रतिशत ऋण परिवर्तन कारक के बदले पचास प्रतिशत ऋण परिवर्तन कारक लागू होगा।

आकस्मिक आरक्षित निधि

- वित्तीय वर्ष के दौरान यदि प्रीमियम अथवा अर्जित शुल्क के लिए 35% से अधिक की हानि के लिए प्रावधान किया गया है तब मौजूदा दिशानिदेशों के अनुसार आकस्मिक आरक्षित निधि के लिए न्यूनतर विनियोजन प्रदान किया जाएगा। इसमें सृजन की जाने वाली आकस्मिक आरक्षित निधि के वास्तविक स्तर का विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अब यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले में आकस्मिक आरक्षित निधि कम से कम प्रीमियम अथवा अर्जित शुल्क का 24% तक जा सकती है, अर्थात हानि के लिए किया गया समग्र प्रावधान तथा आकस्मिक आरक्षित निधि वित्तीय वर्ष के दौरान प्रीमियम और अर्जित शुल्क का न्यूनतम 60% है।
- मौजूदा निदेशों के अनुसार, एमजीसी केवल भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति के बाद ही आकस्मिक आरक्षित निधि का उपयोग कर सकती है। अब निदेशों को कुछ सीमा तक संशोधित किया गया है ताकि बंधक गारंटी धारक द्वारा वहन की गई हानि से निकलने तथा स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति के बगैर आकस्मिक आरक्षित निधि का उपयोग किया जा सके। हानि से बाहर निकलने हेतु अन्य सभी प्रयासों और विकल्पों का प्रयोग करने के बाद ही यह उपाय किया जा सकता है।

निवेशों का वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने अब यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी प्रतिभूतियां-उद्धृत अथवा अन्य, सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूतियों तथा बांडों में किया गया निवेश, एमजीसी की पूंजी से अधिक नहीं होगा तथा इसे मूल्यांकन के उद्देश्य से तथा तद्नुसार लेखांकन हेतु 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) माना जाएगा। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को बाजार भाव पर दर्शाए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा इसे अधिग्रहण लागत से तब तक लिया जाएगा जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हो जिसमें प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता के लिए शेष अवधि के दौरान किया जाए । प्रतिभूति के अंकित मूल्य को संबंधित लेखांकन अवधि के दौरान परिशोधन की गई राशि की सीमा तक कम करना जारी रखा जाए। तथापि इस एचटीएम श्रेणी के बाहर यदि किसी प्रतिभूति का परिपक्वता के पूर्व कारोबार किया जाता है तो पूरे लॉट को कारोबार के लिए प्रतिभूति माना जाएगा और उसे बाजार भाव पर दर्शाया जाएगा।

इस्तेमाल की गई गारंटी पर हानि के लिए प्रावधान

यदि इस्तेमाल की गई गारंटी के लिए पहले से किया गया प्रावधान संविदा-वार लागू कुल राशि से अधिक है (प्रत्येक आवास ऋण के संबंध में कंपनी द्वारा धारित परिसंपत्ति का मूल्य वसूल कर समायोजित करने के बाद) तो इस आधिक्य को मौजूदा निदेश के विपरीत वापस किया जाए जिसके अनुसार आधिक्य को वापस नहीं किया जाता है। तथापि यह वापसी केवल पूर्णवसूली/इस्तेमाल की गई गारंटी राशि की समाप्ति अथवा खाते के मानक बनने के बाद ही की जाए।

रिपोर्ट/कार्यदल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 अगस्त को वर्ष 2013-14 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जो इसके निदेशक मंडल की सांविधिक रिपोर्ट है। इसमें (i) वर्ष 2013-14 के दौरान समष्टि आर्थिक निष्पादन का आकलन और वर्ष 2014-15 की संभावनाओं के साथ अल्पावधि और मध्यावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख चुनौतियां (ii) अर्थव्यवस्था की समीक्षा (iii) रिज़र्व बैंक की कार्यपद्धति और परिचालन विशेषतः मौद्रिक नीति परिचालनों, ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन, वित्तीय बाज़ारों का विकास और विनियमन, विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता, लोक ऋण प्रबंध, मुद्रा प्रबंध, भुगतान और निपटान प्रणालियां तथा सूचना प्रौद्योगिकी और अभिशासन, मानव संसाधन विकास और संस्थागत प्रबंध तथा (iv) वर्ष 2013-14 के वित्तीय लेखे शामिल हैं।

वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यसूची

यह रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2014-15 के लिए रिज़र्व बैंक के विज़न और कार्यसूची पर एक अध्याय भी उपलब्ध कराती है। प्रयासों की एक श्रृंखला के माध्यम से रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र में और सुधार का अभिप्राय रखता है जो पांच स्तम्भों पर आधारित है; (i) मौद्रिक नीति ढांचे को सुदृढ़ करना; (ii) विद्यमान बैंकों में अभिशासन में सुधार करते समय विविधता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना; (iii) वित्तीय लिखतों के विकल्प का विस्तार और वित्तीय बाजारों में चलनिधि की सघनता और परिवर्धन; (iv) वित्त तक पहुंच में सुधार तथा (v) तनावों के साथ चलने में वित्तीय प्रणाली की सामर्थ्य को पुनः स्थापित करना। इसकी कार्यसूची में मौद्रिक नीति ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के साथ कार्य करना शामिल है। बैंकिंग संरचना को सुएृढ़ करने के लिए रिज़र्व बैंक विभेदक बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की एक प्रणाली लागू करेगा तथा सार्वभौम बैंकों को मांग के अनुसार लाइसेंस प्रदान करने का प्रयास करेगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दिशानिर्देशों के सरलीकरण और अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) जैसे कई सामयिक उपाय भी विचाराधीन हैं। रिज़र्व बैंक प्रयासों की एक श्रृंखला के माध्यम से वित्तीय बाजारों को व्यापक और सघन बनाने का प्रयास जारी रखेगा। इसके अलावा जारी प्रयास वित्तीय और गैर-वित्तीय फर्मों में चिंताओं में कमी की दृष्टि से विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे।

वित्तीय लिखतों के लिए कराधान पद्धतियों पर कार्यदल

निजी वित्तीय बचतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में वित्तीय लिखतों के कराधान से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इसे विवेकसम्मत बनाने का सुझाव देने के लिए 20 अगस्त 2014 को एक कार्यदल (संयोजकः श्रीमती बलबीर कौर, परामर्शदाता, आर्थिक और नीति अनुसंधान, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन किया।

कार्यसमूह के विचारार्थ विषय हैं :

- भारतीय वित्तीय प्रणाली में जारी की गई विभिन्न वित्तीय लिखतों के लिए यथालागू वर्तमान कर संरचना की समीक्षा करना;
- वर्तमान कर संरचना के अंतर्गत वित्तीय लिखतों में संभावित 'कर अधिनिर्णय' की पहचान करना; और
- इस संबंध में पूर्ववर्ती समितियों की सिफारिशों और प्रारूप प्रत्यक्ष कर कोड को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बचत को प्रोत्साहित करने गलतियों में कमी के लिए सभी वित्तीय लिखतों में कराधान को विवेकसम्मत बनाने का सुझाव देना।

कार्यदल यदि आवश्यक समझे तो विशेषज्ञों और बाजार प्रतिभागियों से परामर्श कर सकता है। कार्यदल से यह अपेक्षित है कि वह अपनी पहली बैठक के तीन महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**